Places visited by Officers

3350. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) which are the places visited by the officers of his Ministry during the last two years for official and private purpose;

(b) what was the purpose of these visits and to what extent it was accomplished;

(c) whether hospitality was extended lavishly to these officers by public sector and private sector companies and if so, the details thereof; and

(d) what were the movable assets of these officers and what were the details of declaration of their assets?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The officers of the Ministry made official visits to State capitals and other places during the period to attend official meetings, seminars, discussions, inspections, etc. The outcome of the official visits is ordinarily reported to senior officers through tour reports, minutes, proceedings, etc. No information on the private visits of officers is maintained.

(c) The question does not specify the instances of lavish hospitality extended to the officers. Officers treated as State guests or availing of the hospitality of the Undertakings have to make a declaration in their Travelling Allowance claims. The drawal of Travelling Allowance and acceptance of hospitality are regulated by the prescribed rules, Government officers attending Board meetings of public sector undertakings as Government Directors are goverened by specific instructions issued in this regard.

(d) The records of movable assets of officers are not maintained except as required under the rules.

दिल्ली में एल०पी०जी० वितरक

3351. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी भागों में अलग-अलग एल०पी०जी० गैस के कितने वितरक हैं ;

(ख) इस समय उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वितरकों के पास रिफिलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित वितरकों में से कोई ऐसा भी है जिसको इंडियन आयल कारपोरेशन के नियमों के अनुसार रिफिलों की पूरी सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण वितरकों को निकट भविष्य में वित्तीय और अन्य भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वितरकों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने और रिफिलों की कमी को पूरा करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) दिल्ली में राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में कार्य कर रही एल०पी०जी० वितरणशिपों की संख्या निम्न प्रकार है—उत्तर 53, दक्षिण 47, पूर्व 27, पश्चिम 48 ।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [देखिये परिशिष्ट CXLIII, अनुपत्र संख्या 127]

(ग) से (ङ) तेल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर वितरकों की एल पी जी सिलिंडरों की मांग की पूर्णतया पूर्ति की जाती । नयी चालू की गई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समय-समय पर चरणबद्ध रूप में नये ग्राहकों की नाम सूची तैयार करने की अनुमति दी जाती है ताकि उनके कार्यों की व्यवहार्यता में सुधार हो सके ।

(च) उपर्युक्त (ग) से (ङ) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

अनधिकृत रूप से बिजली का प्रयोग किया जाना

3352. **श्री सुनील कुमार पटटनायक :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को इस बात की जानकारी है कि नई सीलमपुर (डबल स्टोरी बिल्डिंग के पास) पूर्वी दिल्ली के लकड़ी के खोखों के मालिक अनधिकृत रूप से बिजली का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को दंडित करने और उनसे हर्जाने की राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, सीलमपुर क्षेत्र में उनके द्वारा हाल ही में मारे गये छापों में बिजली के उपयोग से संबंधित नियम के उल्लघंन के कुछ मामले सामने आये हैं । तदनुसार, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इस प्रकार के 15 मामलों में पुलिस के पास प्रथम दृष्टया रिपोर्ट (एफ०आई० आर०) दर्ज करा दी गई है और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है ?

विधायकों की सिफारिश पर एल०पी०जी० कनेक्शनों का दिया जाना

3353. **श्री सुनील कुमार पटटनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी राज्य के विधायक की हर एक सिफारिश पत्र पर मंत्रालय द्वारा खाना पकाने की गैस के कनेक्शन की मंजूरी नहीं दी जा जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में विधान सभा के सदस्यों के लिए माह-वार या वर्ष-वार कोई कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

Import of crude oil

3354. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 885 given in the Rajya Sabha on the 3rd August, 1987 and state:

(a) the quantity of crude oil imported during 1985-86 and 1986-87; and

(b) the total foreign exchange spent on the import of oil during 1985-86 and 1986-87 and likely to be spent during 1987-88?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT):